



Neutral Citation No. - 2026:AHC:59389

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 2174 वर्ष 2026

राजबिरी ...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अनिल कुमार पाठक, चंद्र प्रताप सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. इस न्यायालय ने 27.2.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. उपस्थित हैं।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि यद्यपि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में था, फिर भी जांच के दौरान उन्हें बरी कर दिया गया। बाद में उन्हें धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तलब किया गया है।

आवेदक का आपराधिक इतिहास केवल एक मामले का है, जिसमें उन्हें पहले ही बरी कर दिया गया है।

3. विद्वान ए.जी.ए. का कहना है कि उन्हें इस मामले में निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं और इसलिए वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों का खंडन करने में असमर्थ हैं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. विद्वान ए.जी.ए. द्वारा प्रस्तुत दलीलों को देखते हुए, मामले को 23.03.2026 को नए सिरे से पेश किया जाए।

5. इस बीच, विद्वान ए.जी.ए. इस मामले में निर्देश प्राप्त कर सकते हैं।

6. 23.03.2026 तक, यदि आवेदक राजबीरी, जो केस संख्या 163/2020 में धारा 302, 504, 34 आईपीसी के तहत गिरफ्तार होती है, पुलिस स्टेशन खेकरा, जिला बागपत में, तो उसे अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वह एक व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती पेश करे, प्रत्येक की राशि संबंधित पुलिस स्टेशन/न्यायालय के स्टेशन हाउस ऑफिसर की संतुष्टि के अनुरूप हो, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

i. आवेदक को आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा;

ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विवश हो;

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव/धमकी नहीं देगा;

7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय आवेदक को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

2. आज जब मामले की सुनवाई हुई, तो माननीय ए.जी.ए. ने बताया कि उन्हें निर्देश प्राप्त हो चुके हैं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.2.2026 के आदेश में दर्ज की गई दलीलों को दोहराया है।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि आवेदक का नाम प्रत्यक्षदर्शियों ने न्यायालय के समक्ष शपथ पर दिए गए अपने बयानों में लिया है और उसे तलब करना उचित है। समन आदेश को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है और इस न्यायालय ने आवेदक द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या **667/2025** (राजबिरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) को दिनांक 09.12.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था, जिसके विरुद्ध आवेदक सर्वोच्च न्यायालय में गया था और सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या **1238/2026** (राजबिरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) को दिनांक 27.1.2026 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था। आवेदक का तर्क है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका खारिज किए जाने के मद्देनजर, अग्रिम जमानत के लिए यह आवेदन भी खारिज कर दिया जाए। माननीय सहायक सरकारी अधिवक्ता ने बताया है कि आवेदक का एक अन्य मामले में आपराधिक इतिहास है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर लाए गए दस्तावेजों का अध्ययन किया है।

6. विद्वान ए.जी.ए. ने बहस के दौरान यह बताया है कि आवेदक के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट और धारा 82 सीआर.पी.सी. के तहत कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

7. माननीय ए.जी.ए. के उक्त निवेदन का उत्तर देते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट को विद्वान ट्रायल न्यायालय द्वारा दिनांक 12.8.2025 को पारित आदेश द्वारा स्थगित रखा गया था। इस बीच, आवेदक ने समन आदेश के विरुद्ध अपने उपाय अपनाए थे, इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या **667/2025** (राजबिरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) दायर करके। अंततः, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.1.2026 के आदेश द्वारा विशेष अनुमति अपील (आपराधिक) संख्या **1238/2026** (राजबिरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) खारिज किए जाने के बाद, आवेदक ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। आवेदक की अग्रिम जमानत को माननीय सत्र न्यायाधीश ने अपने दिनांक 06.02.2026 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. न्यायालय की राय में, आवेदक भगोड़ा नहीं है और आवेदक के विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी के तहत गैर-जमानती वारंट और घोषणा इस न्यायालय के समक्ष उसकी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका के लंबित रहने के दौरान जारी की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आशा दुबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन 5633 के अनुच्छेद 8 में यह टिप्पणी और राय व्यक्त की है इस प्रकार:

अग्रिम जमानत के संबंध में विचार करते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत घोषणा की स्थिति में, ऐसा नहीं है कि सभी मामलों में अग्रिम जमानत के आवेदन पर विचार करने पर पूर्ण रूप से रोक लग जाएगी।

9. आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज है। हालांकि, जांच के दौरान उसे निर्दोष पाया गया। घटना 16.05.2020 की है और आवेदक को लगभग छह वर्षों तक गिरफ्तार नहीं किया गया। यह भी कहा गया है कि आवेदक ने गवाहों को धमकाया नहीं है या किसी अन्य तरीके से जांच में हस्तक्षेप नहीं किया है। इस न्यायालय ने अपने दिनांक 27.2.2026 के आदेश द्वारा आवेदक को अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी और इसका उल्लंघन करने की कोई रिपोर्ट नहीं है। आवेदक का एक पूर्व आपराधिक मामला दर्ज है, जिसमें आवेदक को संबंधित न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया था।

10. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए, साथ ही इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि सह-आरोपी किरसन को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.1.2021 को आपराधिक विविध मामले में पारित आदेश द्वारा नियमित जमानत दी गई है। जमानत आवेदन संख्या - 43883/2020 (किरसन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक एक महिला है, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करना उचित समझता/समझती हूँ।

11. उपरोक्त के सन्दर्भ में, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

12. आवेदक राजबीरी की गिरफ्तारी की स्थिति में, उक्त मामले में अग्रिम जमानत पर उसे व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती पेश करने पर तत्काल रिहा किया जाएगा, प्रत्येक जमानत राशि इतनी ही हो, जो संबंधित पुलिस स्टेशन/न्यायालय के स्टेशन हाउस ऑफिसर की संतुष्टि के अनुरूप हो, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

i. आवेदक को आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा;

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विवश हो जाए;

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव/धमकी नहीं देगा;

13. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को जमानत रद्द करने का अधिकार होगा।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दिए गए अवलोकन केवल इस अग्रिम जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें मामले की खूबियों पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

23 मार्च, 2026

सचिन

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"